*अनुबंध*

**विदेशी मुद्रा खाते जिन्हें निवासी बनाए रख सकते हैं**

**I. विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (EEFC)** [विनियम-4(ए)]

1) इस खाते को खोलने, धारित करने, बनाए रखने संबंधी नियम एवं शर्तें विनियमावली की अनुसूची-I में दिए गए/दी गई हैं।

2) यह खाता ब्याज-रहित चालू खाते के रूप में होगा।

3) निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)/बीमा कंपनियों द्वारा दावों के रुपये में किए गए निपटान को विदेशी मुद्रा में निर्यातगत आगम/वसूली राशि नहीं माना जाएगा और इन दावों से प्राप्त हुई राशि ईईएफ़सी खाते में जमा करने के लिए पात्र नहीं होगी।

4) प्राधिकृत व्यापारी विशेष आर्थिक क्षेत्र के डेवलपर्स को EEFC खाता खोलने, धारण करने और बनाए रखने तथा विदेशी मुद्रा अर्जन को इस खाते में जमा करने की अनुमति दे सकते हैं जैसाकि अनुसूची-I के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट है।

5) किसी कलैंडर माह के दौरान खाते में उपचित कुल राशि से अनुमत प्रयोजनों अथवा वायदा प्रतिबद्धताओं संबंधी उपयोग को समायोजित करने पर शेष रही राशि अनुवर्ती माह के अंतिम दिन से पूर्व अथवा को रुपये में परिवर्तित की जाएगी।

6) क्रेडिट सुविधाएं : EEFC खाते में जमा शेष के बदले निधि आधारित अथवा गैर निधि आधारित, दोनों प्रकार की, ऋण सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

7) रुपए अथवा विदेशी मुद्रा में लिए गए पैकिंग अग्रिम की अदायगी, निर्यातकों द्वारा उस सीमा तक EEFC खाते में जमा शेष से की जा सकती है जिस सीमा तक वास्तव में निर्यात हुए हों।

8) किसी निवासी के अनिवासी के रूप में परिवर्तित होने पर, खाताधारक द्वारा दिये गए विकल्प / अनुरोध पर जमा शेष NRE / FCNR(B) खाते में जमा किया जा सकता है।

**II. निवासी विदेशी मुद्रा (RFC) खाता** [विनियम 4 (बी)]

1. निवासी व्यक्तियों को पेंशन, अधिवर्षिता लाभ, अधिनियम की धारा-6(4) में वर्णित परिसम्पत्तियों के परिवर्तन और विनियम 4(बी) में यथा निर्धारित अन्य मामलों में, प्राप्त विदेशी मुद्रा से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास RFC खाता/ते खोलने की अनुमति है। NRE खाते और FCNR(B) खाते में जमा शेष निवासी व्यक्ति के अनिवासी भारतीय व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होने पर RFC खाते में जमा किया जा सकता है।

**III. निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता [RFC(D)]** [विनियम 4 (सी)]

1) 29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा. 11(आर)/2015-आरबी के विनियम 3(iii) में उल्लिखित स्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा को निवासी व्यक्ति बैंक खाते में रख सकें, एतदर्थ उन्हें यह अनुमति दी गई है कि वे भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता [RFC(D)] खोल सकते हैं। यह सुविधा 29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा. 11(आर)/2015-आरबी में दी गई सुविधा के अतिरिक्त है।

2) किसी कलैंडर माह के दौरान उपचित कुल राशि को अनुमत प्रयोजनों अथवा वायदा प्रतिबद्धताओं संबंधी उपयोग को समायोजित करने पर शेष रही राशि अनुवर्ती माह के अंतिम दिन से पूर्व अथवा को रुपये में परिवर्तित की जाएगी।

3) निवासी से अनिवासी के रूप में परिवर्तित होने पर खाताधारक के द्वारा दिये गए विकल्प / अनुरोध पर जमा शेष NRE / FCNR(B) खाते में जमा किया जा सकता है ।

IV. **विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित कोई यूनिट** [विनियम 4 (डी)]

1) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित कोई यूनिट विदेशी मुद्रा में स्वयं प्राप्त सभी निधियों को प्राधिकृत व्यापारी के पास खोले, धारण किए और बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते में जमा कर सकती है।

2) उक्त खता भारत में निवासी / भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति और संदर्भित यूनिट के बीच सदाशयी व्यापारिक लेनदेनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

V. **डायमंड डॉलर खाता (DDAs)** [विनियम 4(ई)]

1) यह खाता जिन शर्तों के अंतर्गत खोला, धारण किया और बनाए रखा जा सकता हैं वे विनियमावली की अनुसूची II में दी गई हैं।

2) किसी कलैंडर माह के दौरान उपचित कुल राशि को अनुमत प्रयोजनों अथवा वायदा प्रतिबद्धताओं संबंधी उपयोग को समायोजित करने पर शेष रही राशि अनुवर्ती माह के अंतिम दिन से पूर्व अथवा को रुपये में परिवर्तित की जाएगी।

**VI. भारत में जहाजरानी कर्मी / क्रू-प्रबंधन एजेंसियां** [विनियम 4(जी)(2)]

1) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत में जहाजरानी कर्मी / क्रू-प्रबंधन एजेंसियों को अपने सामान्य कारोबार संबंधी लेनदेनों के लिए भारत में ब्याजरहित विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि ब्योरा नीचे दिया गया है:

ए. *जमा :* सामान्य बैंकिंग चैनल के द्वारा ओवरसीज़ प्रिन्सिपल से प्राप्त आवक विप्रेषण से।

बी. *नामे :* अपने सामान्य कारोबार के दौरान जहाजरानी / क्रू के प्रबंधन से संबन्धित विभिन्न खर्चों के लिए ।

सी. इस खाते में जमा शेष के बदले किसी प्रकार की ऋण सुविधा (निधि आधारित अथवा गैर निधि आधारित) नहीं दी जाएगी।

डी. बैंक ऐसे खातों के संबंध में यथा निर्धारित आरक्षित निधि आवश्यकताओं को पूरा करें।

ई. इस खाते में प्राप्त विप्रेषणों से EEFC सुविधा की अनुमति नहीं होगी।

एफ़. ऐसा खाता केवल करार की वैधता अवधि के दौरान की रखा जा सकता है।

**VII. परियोजना कार्यालय - भारत में विदेशी मुद्रा खाते** [विनियम 4(जी)(3)]

1) कोई प्राधिकृत व्यापारी भारत में परियोजना कार्यालयों के लिए ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाते निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत खोल सकता है :

ए. भारत में परियोजना कार्यालय की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य / विशेष अनुमति सहित, संबन्धित परियोजना मंजूरी प्रदाता से अपेक्षित अनुमोदन के पश्चात की गई हो,

बी. परियोजना को जिस संविदा के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई है, उसमें विदेशी मुद्रा में विशेष रूप से भुगतान करने का प्रावधान है,

सी. प्रत्येक परियोजना कार्यालय का केवल एक विदेशी मुद्रा खाता है/होगा।

*डी. नामे :*

i. परियोजना से संबन्धित व्यय का भुगतान करने हेतु।

*ई. जमा :*

i. परियोजना मंजूरी प्रदाता प्राधिकारी से विदेशी मुद्रा में प्राप्तियों, और
ii. विदेश से मूल (पैरेंट) कंपनी/समूह कंपनी अथवा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण करने वाली एजेंसी से विप्रेषण प्राप्त करने के लिए।

एफ़. परियोजना के पूर्ण होने पर विदेशी मुद्रा खाते को बंद कर दिया जाए।

जी. निधियों का अंतर-परियोजना अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय की पूर्वानुमति से अनुमत होगा जिसके क्षेत्राधिकार में परियोजना कार्यालय स्थित होगा।

एच. परियोजना कार्यालय और परियोजना मंजूरी प्रदाता अथवा अन्य सरकारी / गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच विवाद के मामले में ऐसे खाते में जमा शेष विशेष खाते में भारतीय रुपये में परिवर्तित कर जमा किया जाएगा और विवाद के हुए निपटान के अनुसार उनका निपटान/ निस्तारण होगा।

**VIII. अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों / सम्मेलनों / गोष्ठियों, आदि के संयोजक** [विनियम 4(जी)(5)]

1) अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों / सम्मेलनों / गोष्ठियों, आदि के संयोजक निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास अस्थाई विदेशी मुद्रा खाता रख सकते हैं :

ए. जमा : सम्मेलनों / गोष्ठियों, आदि के संबंध में समुद्रपारीय प्रतिनिधियों से प्राप्य पंजीकरण शुल्क, विदेश से प्राप्त अनुदान, प्रायोजन शुल्क और दान के रूप में विदेशी मुद्रा में आए सभी आवक विप्रेषण।

बी. नामे : (i) प्रायोजकों के विशेष निमंत्रण पर सम्मेलन में भाग लेने वाले विदेशी / विशेष आमंत्रित, विदेशी अतिथि वक्ताओं की यात्रा, होटल प्रभार आदि, और मानदेय के रूप में भुगतान; (ii) विदेशी प्रतिनिधियों के पंजीकरण शुल्क की वापसी और प्रायोजन / अनुदान राशि की शेष रकम, यदि कोई हो, के विप्रेषण के लिए; (iii) बैंक प्रभार, यदि कोई हों; (iv) निधियों के रुपये में परिवर्तन।

सी. सभी अन्य जमा / नामे होने वाली राशियों हेतु रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी।

डी. सम्मेलन/कार्यक्रम के सम्पन्न होते ही ऐसा खाता तुरंत बंद कर देना चाहिए।

**IX. भारतीय कार्पोरेट द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) लेना** [विनियम 5(ई)(1)]

बाह्य वाणिज्यिक उधार आगम राशि में से विदेशी मुद्रा व्यय हेतु चिह्नित राशि उपयोग होने तक विदेश में रोक रखी जा सकती है। उपयोग होने तक ये निधियाँ अग्रलिखित चल परिसंपत्तियों (ए) स्टैंडर्ड ऐंड पुअर द्वारा AA (-) / फिच (Fitch) IBCA अथवा मूडीज़ (Moody's) द्वारा Aa3 से अधिक रेटिंग वाले बैंक द्वारा प्रस्तावित निक्षेपों(जमा) अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य उत्पादों; (बी) उल्लेखानुसार न्यूनतम रेटिंग वाले एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले खज़ाना बिलों और अन्य मौद्रिक लिखतों एवं (सी) विदेश स्थित भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं / सहायक कंपनियों की जमा राशियों में निवेश की जा सकती हैं।